

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/231
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00201
CICOM/R/2018/00700

दिनांक: 31.08.2018

अपीलकर्ता : श्री सुरेन्द्र कुमार सिंघल,
53, द्वारकापुरी,
मुजफ्फरनगर - 251001.

निर्णय की तारीख : 31.08.2018

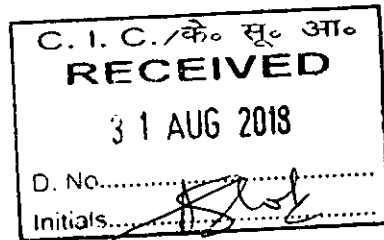
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	20.06.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	23.07.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अयतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	16.08.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	403/29.08.2018 (1768/27.08.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 20.06.2018 का आर.टी.आई. आवेदन, जिसे अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 06.07.2018 को प्रेषित किया है तथा जो कि दिनांक 11.07.2018 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 12.07.2018 को प्राप्त हुआ जिसके माध्यम से अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 20.09.2017 को प्रेषित की गई द्वितीय अपील से संबंधित सूचना मांगी गई थी, के प्रतिउत्तर में श्री कृष्ण अयतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है। अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उन्होंने एक ही लिफाफे में दो अपील डाले थे, परन्तु दोनों को एक फाइल संख्या देकर सुनवाई की गई तथा अनुरोध किया है कि उनकी अपीलों पर पुनः सुनवाई की जाए।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त संदर्भित आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री कृष्ण अयतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 5 (4) के तहत डाक अनुभाग से सहायता लेकर पत्र सं. CICOM/R/2018/00700/CR-1 दिनांक 23.07.2018 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि द्वितीय अपील की सुनवाई में प्रथम अपीलीय अधिकारी की कोई भूमिका नहीं होती है।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



प्रतिलिपि :

श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

८/केश
(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

31/08/18